न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 35 / 13दायरा दिनांक 24.05.2013

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

रविमण्डल पुत्र महेन्द्र मण्डलजाति नमोशुद्र निवासी परानियांतहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

– अपीलाण्ट

बनाम

1. सुशील पुत्र रविमण्डल जाति नमोशुद्र निवासी परानियां तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां।
2. अशोक पुत्र रविमण्डल जाति नमोशुद्र निवासी परानियां तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां।
3. विशाल पुत्र रविमण्डल जाति नमोशुद्र निवासी परानियां तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां।
4. शान्ति पुत्री रविमण्डल जाति नमोशुद्र निवासी परानियां तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां।
5. विनिता पुत्री रविमण्डल जाति नमोशुद्र निवासी परानियां तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां।
6. भानूमति पुत्री रविमण्डल जाति नमोशुद्र निवासी परानियां तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां।
7. मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति औढ़ निवासी परानियां, तहसीलदार किशनगंज जिला बारां।
8. चुन्नी पुत्र चुन्नीलाल जाति औढ़ निवासी परानियां, तहसीलदार किशनगंज जिला बारां।
9. रामप्यारी पुत्री चुन्नीलाल जाति औढ़ निवासी परानियां, तहसीलदार किशनगंज जिला बारां।
10. पुष्पाबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति औढ़ निवासी परानियां, तहसीलदार किशनगंज जिला बारां।
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. सुश्री पूर्णिमा मण्डल, अभिभाषक अपीलान्ट।
2. श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक अप्रार्थीगण।
3. श्री नरेश नागर, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

दिनांक 30/8/19

<u>अपील के विरूद्ध विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 29.09.1994 निरस्त फरमाने बाबत्।</u>

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 29.09.1994 निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। यह कि ग्राम परानियां पटवार हल्का परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां के माल में स्थित आराजी ख.सं. 145 रकबा 1.19 बीघा, ख.सं. 237 रकबा 5.

13 बीघा, ख.सं. 238 रकबा 1.18 बीघा, ख.सं. 133 रकबा 5.14 बीघा, ख.सं. 143 रकबा 6.07 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 21.11 बीघा अपीलान्ट के खाते में दर्ज थी जिस पर अपीलान्ट को फोत बताकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 182 अवैध रूप से खुलवाकर अपीलान्ट के वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 6 के नाम उक्त आराजी दर्ज कर दी गई, जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में दर्ज है। जिसको अपील में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह नामान्तरकरण संख्या 182 में अपीलान्ट को फोत बताकर मिथ्या व असत्य तथ्यों के आधार पर फर्जी रूप से जानसीजी करके उक्त नामान्तरकरण खालो गया है। जबकि अपीलान्ट वर्तमान में जिवित है जिसकी रिपोर्ट पटवार हल्का परानियां, पहचान पत्र रवि मण्डल के दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत है। नामान्तरकरण संख्या 182 ग्राम परानियां में रवि मण्डल को फोत /मृतक बताकर तहसीलदार किशनगंज द्वारा खोला गया है जो अवैध एवं शून्य होने से निरस्त होने योग्य है उक्त इन्तकाल संख्या 182 दिनांक 29.09.1994 को अपीलान्ट निरस्त करवाकर अपील की वर्णित मद नं. 1 की आराजी पर पुनः अपना नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

रेस्पो. के विद्वान वकील की ओर से ब्रीफ होल्डर उपस्थित जिनके द्वारा बहस में कोई कथन नही किया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। जिसमें पाया गया नामान्तरकरण संख्या 182 ग्राम परानियां में रवि मण्डल को फोत /मृतक बताकर तहसीलदार किशनगंज द्वारा खोला गया है।जबकि अपीलान्ट वर्तमान में जिवित है जिसकी रिपोर्ट पटवार हल्का परानियां, पहचान पत्र रवि मण्डल के दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत है। हमने ग्राम परानियां के प्रमाणित प्रति इंतकाल नं. 182 दिनांक 29.09.1994 का अवलोकन किया जिसमें रवि मण्डल को फोत बताया गया है। उनके निम्न को बारिसान बताया गया है – सुशील पुत्र, अशोक पुत्र, विशाल पुत्र व शान्ति, विनिता पुत्रियां एवं भानवती बेवा बताया गया है। जिसका सजरा नकल में बना हुआ है, इस प्रकार उक्त इंतकाल पर दिया गया निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंषिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम परानियां हल्का ग्राम परानियां का इंतकाल नं. 182 दिनांक 29.09.1994 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक नाम तस्दीक किया जावें। प्रकरण निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 12:39:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: